तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोपाल बनाम कैलाश 355/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00114)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.06.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित, उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में स्थगन लिया हुआ है तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे है तथा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 14.03.18 द्वारा अधिवक्ता अपीलान्ट को 1000/- एक हजार रूपये की कोस्ट पर बहस हेतु अंतिम अवसर दिया गया है, तत्पश्चात् प्रकरण में करीब नो बार तारीख पेशीया दी जा चुकी है लेकिन अधिवक्ता अपीलान्ट ना तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे है और ना ही उनके द्वारा कोस्ट की राशि जमा कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.03.18 द्वारा अधिवक्ता अपीलान्ट को 1000/-एक हजार रूपये की कोस्ट पर बहस हेतु अंतिम अवसर दिया गया है, तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट लगातार अनुपस्थित रहे है तथा अपीलान्ट की ओर से भी प्रकरण में कोई भी उपस्थित नही हो रहे है एवं उनके द्वारा कोस्ट की राशि भी राजकोष में जमा नही कराई गई। ऐसी स्थिति अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	